

उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन)  
(संशोधन) नियमावली 2015 के अन्तर्गत जनपद  
रूद्रप्रयाग की तहसील रूद्रप्रयाग, जखोली,  
ऊखीमठ, एवं बसुकेदार स्थित भू-सम्पत्तियों की  
शासनादेश संख्या 161 / 2016 / XXvii(9) / स्टाम्प  
-80 / 2009 दिनांक 10 जून 2016 के द्वारा  
संशोधित मूल्यांकन सूची वर्ष 2015-16 दिनांक 16.  
6.2016 से प्रख्यापित / नियत ।

शासनादेश संख्या -99 / नि0स0-अ0स0वि0 / दैटक / 2015 दिनांक 02 नवम्बर, 2015 के क्रम में एवं उत्तराखण्ड स्टाफ (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित जनपद रुद्रप्रयाग में वर्ष 2015-16 हेतु सम्पत्तियों का मूल्यांकन दर (सर्किल रेट) पर राज्य स्तर पर गठित केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित / स्वीकृत जनपद रुद्रप्रयाग हेतु नई मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) शासनादेश संख्या 01 / 2016 / XXVII(9) / स्टाफ-80 / 2009 दिनांक 02 जनवरी 2016 एवं शासनादेश संख्या 161 / 2016 / XXVII(9) / स्टाफ-80 / 2009 दिनांक 10 जून 2016 के द्वारा संशोधित सर्किल दरें निम्नलिखित प्रकार से दिनांक 16-06-2016 से प्रव्यापि / नियत की जाती है ।

**तहसील रुद्रप्रयाग :- नगरीय क्षेत्र**

क्र. सं.	ग्राम / गाँव / मोहल्ले / खारवा गाँव की	सामान्य दर..... (BASE RATE)				ग्राम में स्थित भवन के क्षेत्र (घेटर)	वर्षाव / खेती / कृषि	अन्य उपयोग	ग्राम क्षेत्र (घर)	नियोजित / कर्म / कला		
		प्रमुख मार्ग पर स्थित भूखण्ड की क्षेत्र दर (प्रति हेक्टर क्षेत्र दर ₹०० में)	51 हेक्टर से अधिक क्षेत्र	201 हेक्टर से अधिक क्षेत्र	0-50 हेक्टर क्षेत्र							
1	3 अतिस्थित नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पड़ने वाले खारवा गाँव पुनाड, देवली, तिलवा, सुनेपुर।	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	क	95.15	90.60	96.50	1072.50	1024.00	975.00	22210.00	29160.00	27470.00	13555.00	11965.00
2	ख	95.15	90.60	96.50	1045.00	998.00	950.00	22165.00	29105.00	25430.00	13555.00	11965.00
3	ग	94.00	89.75	85.50	1018.00	971.00	925.00	22155.00	29055.00	25440.00	13555.00	11965.00
4	घ	79.20	75.60	72.00	680.00	640.00	800.00	22020.00	28790.00	27110.00	13555.00	11965.00

100

5	राजीव गांधी (दक्षिण)	68.20	65.10	62.00	770.00	735.00	700.00	21915.00	20580.00	26890.00	13555.00	11865.00
---	----------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

तहसील रुद्रप्रयाग :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	ग्राम / मोट्टा / शहर / गाँव की सीमा	ग्राम भूगोल / मोट्टा / शहर / गाँव की सीमा	सामान्य दर (BASE RATE)										
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	समुदायिक आवासीय शहर में भूखंड	विकास योग्य (ग्राम क्षेत्र) में भूखंड	अर्द्ध नगरीय परिवर्तन योग्य	ग्राम क्षेत्र (ग्राम)	विकास योग्य / शहर / गाँव
1													
2	क	शहर का भूगोल / मोट्टा / शहर / गाँव की सीमा	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16
		शहर का भूगोल / मोट्टा / शहर / गाँव की सीमा	75.35	71.92	68.50	890.00	840.00	800.00	20130.00	25400.00	23710.00	13050.00	11015.00
	ख	शहर का भूगोल / मोट्टा / शहर / गाँव की सीमा	67.10	64.05	61.00	715.00	682.50	650.00	18450.00	25094.00	23415.00	13050.00	11015.00
	ग	शहर का भूगोल / मोट्टा / शहर / गाँव की सीमा	23.65	22.57	21.50	275.00	262.50	250.00	18060.00	24255.00	22555.00	13050.00	11015.00

Libud

तहसील रुद्रप्रयाग - ग्रामीण क्षेत्र

(2)

क्र. सं.	पट्टेदार / मालिक / शेतदार की श्रेणी	पट्टेदार / मालिक / शेतदार का नाम / जमीन का स्थान	सामान्य दर ..... (BASE RATE)													
			पट्टेदार पर प्रति एकड़ की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मीटर 100 मी.)	51 बीघर से अधिक तक	201 बीघर से अधिक तक	पट्टेदार पर प्रति एकड़ की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मीटर 100 मी.)	51 बीघर से 200 तक	201 बीघर से अधिक तक	समुदायिक भवन से शहर तक (प्रति वर्ग मीटर)	रू. 1000 / एकड़ से अधिक	अन्य श्रेणी	प्रधान श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (पक्का) / कच्चा			
1																
2	क	मगणा, भरोडा, जवाडी।	75.35	71.92	68.50	798.00	761.00	725.00	15170.00	20160.00	18470.00	11530.00	9830.00			
3	ख	नरकोटा, नौगांव तथा नौगाँव, अनाकटा, देवीमाण्डा, शिरोवाड़ा, शिवानन्दी विवाह, लक्ष्मी सौंदा, लालगा, काला, गणतल, मीरगांव।	62.70	59.85	57.00	715.00	683.00	650.00	15090.00	20090.00	18310.00	11530.00	9830.00			
4	ग	विनोदी, क्यूडी, कृष्णनकोट, चौपडा, भेराही, देवलख, पालीजखण्डा, टेम्ना, राण, पालीवन्दी, गन्धारी, लोन्दा, नसीली, कुरझण, लखौली, विरोली, दिखली, जरावली, हीना, बालास, कुथौली।	23.85	22.57	21.50	275.00	263.00	250.00	14470.00	19160.00	17470.00	11530.00	9830.00			
5	घ	काण्डा, सावई, भयाकोटी, शंभू, नवायू, फादपुर, मोल्दा, सिन्धवाला, नौगावलगासिन्धवाला, काण्डई, पकीडा, बालौली, बामसू, बाडा, दुगा, शिरकोटला, दुगा, चौपला, शिवपुरी, मोलभडा, स्यूणी, भण्डालगास्यूणी, गन्ड, दानकोट, नौधू, बरकोट, गुधगावा, सुपौली, वणरही, धारकोट, बरखौली, विपली, न्यारी, न्यूवा, चौपलासिन्धू, चौपडा, सीन्दा, दरभौला, कमेडा, वसोकान्दला।	17.05	16.27	15.50	198.00	189.00	180.00	14525.00	19015.00	17325.00	11530.00	9830.00			
6	ङ	साशियास, कोल्हान, देवीकाण्डई, आगरखवाडी, काखवाडी, जमीकाण्डई, बनभूपला, गोरगा, कुम्भीमातकोटी, कर्णधार, सौंडा, कादलगा, दादरवाडी, धारगा, लोख, दरवाडी, नारी, कमेली, कनसी, भणग, मातली, वदेर, भीसल, स्यालवा, भटवाडी (अनन्यपुरी), शिरकोट, कोटीबलकोटी, मदीला, कोतगी,	16.22	15.48	14.75	182.00	173.00	165.00	14575.00	18965.00	17285.00	11530.00	9830.00			

L.S.D.

	<p>डि.का. सिन्धवाणीतली, सिन्धवाणीतली नामनागसारी, नरसुरनागसारी, नामनाडा सारी, माळीमठ, बासरील धारकोट (चोपडा) दरब, कोदिना, कोटगल्ला, कोटगल्ला, गडोरा पुना वाडनागापुराद, बरसु लोती, चोरी खीय वाडनागुली पीडा, निवणी, बगोलीतली बगोलीतली, सुनाड, जेटा, कडतगाव देशना, कुलातोली, आंकसेरा कोल्ली, मडसुनलगाटोटी, ककराईखेत, मरगाव(परगाव), टिकी जुन्दे, सुराडी, घाटा, सेरा खरनाद चोरी मरगाव, सोरखाल, सिनाली, सोरखाल, भाणगाव, भरनाग, मोराड, शेठिया, वेणी दागी, गुनाड।</p>												9830 00	
7	<p>उखोली, वडनी, तडान, मटवाडी (पोपडोली), मडोमलारा, बोरामल्ला, बोराल्ला, इशाला, मडडतल्ला, मडडतल्ला, बोरगाड, डुंग, तडगाव, धाडनाग, मरनाक, कलाची मडोळ, चामक, धारीनाग, जोडना, मडसारी, बासवाडा, पोपडा(धारकोट), धण्डीकोट, बरिंतपडक, बगोली, बाकीवर्शिवा, नाथेव, धोळसारी, घाला, बौदनाग(परगाव), सुपुडनामठ, लोभा, खाल्कु, चोपड, मटवाडी (सारी), सिजराकोट, मीरनाग(धारकोट, वाडनाग(धारकोट, निवाली, मडोमल पलीतल्लो, डुग्री (चोपडा), जतसु, चोपडसारी, पाटीनाग(धारकोट), वेडगाव(चोपडा), धापड, तडगाव, मोला, लोनाग(धारकोट), सोन, पुडसाल, सोताकोटी, चोरीलगापुरडसाल, क्वाली, लोरीनाल, मडसु, खरकोटा, सिमातोली, बणलोळ मुनलावल्ला, मुनकापल्ला, काण्डा, चोखरी, धाडव, धारतोली, डुग्री(रुजडा), डुगाई, खीडी, क्वाकी, धोडनाग(धारकोट), मडोळ, धाडी, सिनागवड, खीनसेरा, रानीगाव, खीरवाणो, कलेष, धोपसु, धोपीखाल, टामणी, डिगकी, मणनारा, मरगाव(रुजडाखाल), धाणपुर(रुजडाखाल), लेगाव, मडडवलेली, खोपसेरा, काण्डाधार, गाणनाग(रुजडा), धारिणु, नीना, जुलावनारा, नाकर, बणगाव(धारकोट), धाणगाव(धारकोट), संकरोडी, र्खातखोटा, खोडनाग(धारकोट)</p>	9 90	9 45	9 00	121 00	116 00	110 00	14520 00	18870 00	17180 00	11530 00			9830 00

libary

कमालदी, पुरवारण, झुमरा(सीकरखाल), कोटली, रातली, कफना, सापली, सक-याण तरेवाडी, रतीली, संभ, झुमरी (जवाडी), मन्दापुराखाल, मन्दापुराखाल आसळाला ।																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### तहसील जखली - अर्धनगरीय क्षेत्र

#### सामान्य दर.....(BASE RATE)

क्र.सं.	पुरवठा मार्ग / मोहल्लो / सावळ / गार्ड / फोनी	पुरवठा मार्ग / मोहल्लो / सावळ / गार्ड / फोनी	पुरवठा मार्ग पर किंवा अर्धनगरीय पुरवठा क्षेत्रातील नगरपालिका कोटेशन दर (प्रति वर्ग मी.)			पुरवठा मार्ग पर किंवा अर्धनगरीय पुरवठा क्षेत्रातील नगरपालिका कोटेशन दर (प्रति वर्ग मी.)			सामान्य दर (प्रति वर्ग मी.)	एग्जस्टीव्हिव्ह (प्रति वर्ग मी.)	वृद्धी / कटौती / जावळ	अंतिम मूल्य	मालमूल्य (प्रति वर्ग मी.)	संगणित मूल्य (प्रति वर्ग मी.)	मालमूल्य (प्रति वर्ग मी.)	अंतिम मूल्य (प्रति वर्ग मी.)
			0-50 मीटर तक	51 मीटर ते 200 मीटर तक	201 मीटर ते अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर ते 200 मीटर तक	201 मीटर ते अधिक								
1	क	सुभारडी।	67.10	64.09	61.09	742.90	708.00	675.00	18500.00	25135.00	23450.00	13050.00	11015.00			
2	ख	पुरवठी	31.00	29.50	28.00	385.00	367.00	350.00	18165.00	24455.00	22765.00	13050.00	11015.00			

107

तहसील जखोली :- ग्रामीण क्षेत्र

(2)

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / सड़कें / गांवों की संख्या	प्रमुख मार्ग / सड़कें / गांवों की संख्या	सामान्य दर..... (BASE RATE)										
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	सड़कें/परीचालन/वर्क (प्रति वर्ग मीटर)	सड़कें/परीचालन/वर्क (प्रति वर्ग मीटर)	सड़कें/परीचालन/वर्क (प्रति वर्ग मीटर)	सड़कें/परीचालन/वर्क (प्रति वर्ग मीटर)	सड़कें/परीचालन/वर्क (प्रति वर्ग मीटर)
1	क	जखोली, देवल, लोधाड़, लखौली, बजौरा, ममणी, खरोली, गाँवी, उठना, काफिया, बखानाड़, सिराई, बरसिर, कोठियाला, बन्दी, बुढना, खलियाण, तुनेटा, पीठी, पीरा, रागा, लेखलावली, नानोली, झीकोट, काण्डा, रतनापुर, भेदनापुर, बेंबड़, लौंगा, खोभा, जखान, तिराणागा, तडियालगांव।	18.50	17.50	16.75	275.00	262.00	250.00	14670.00	19165.00	17470.00	11530.00	9830.00
2	ख	रूखर, कुठियाण, पालाबुखोली, जखराडीवाल्की, निखाला, कोट, सग, धारबुडी, गैराणा, बानी, जगदोली, जखराडीमन्की, पालाण, धारकोट, नारा, पूर्वेयाण, अठोला, हरियाली, पिनगडी, कण्डाकी, भरगाव, जैती, जखनोली, तैला, शिवाडी, टाट, कुमडी, मुलादग, जखोली, बडगा, शानी, बरगा, मुन्नादेवल, सैभ, कोटी, डोगावाजगाव, धाणगाव, धरियाण, शकलगा, महाराण, काखणी, पीणबुली, कोटी, धान्या, मुन्नाधर, शणगा, खाल, धमनीवाला, नन्दापणगाव, कुठियाली, बटवाडी, जखोली, बन्दी, जखोली, मन्की, उदियाणागाव, परोड, कोट, डानी, नीली, शिलगाव, धरियाणा, धारला, बकीला, धनकुडी, बरसारी, शिमली, म्याणगाव, घाली, वाका, पलानी।	17.50	16.50	15.75	220.00	210.00	200.00	14515.00	19060.00	17365.00	11530.00	9830.00
3	ग	शकलगा, महाराण, काखणी, पीणबुली, कोटी, धान्या, मुन्नाधर, शणगा, खाल, धमनीवाला, नन्दापणगाव, कुठियाली, बटवाडी, जखोली, बन्दी, जखोली, मन्की, उदियाणागाव, परोड, कोट, डानी, नीली, शिलगाव, धरियाणा, धारला, बकीला, धनकुडी, बरसारी, शिमली, म्याणगाव, घाली, वाका, पलानी।	17.16	16.65	15.75	210.00	199.00	190.00	14605.00	19035.00	17345.00	11530.00	9830.00

Handwritten signature

4	घ	पुल, सिरवाडी, पुनारवाड मवात, वरदा स्थानपुरी, मीमर, रठ, उरीला, कुम्भिला, बनापुरवाडी, बरसी, लडियासु।	10.00	09.50	09.00	143.00	136.00	130.00	14540.00	18910.00	17220.00	11530.00	9830.00
---	---	---	-------	-------	-------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	---------

तहसील ऊखीमठ :- नगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	ग्राम / मोहल्लो / वार्ड / वडा / वडा नं.	ग्राम नगर / मोहल्लो / वार्ड / वडा	ग्राम नगर पर क्षेत्र कृषि भूमि की वर्ग-बन्धन दर (रु. प्रति ए. ए. में)							ग्राम नगर पर क्षेत्र अकृषि भूमि (अवरोधी / अनुमोदित की वर्ग-बन्धन दर (रु. प्रति वर्ग ए. में))							शामान्य दर (BASE RATE)			
			0-50 बीघर तक	51 बीघर से अधिक 200 बीघर तक	201 बीघर से अधिक	0-50 बीघर तक	51 बीघर से 200 बीघर तक	201 बीघर से अधिक	अवरोधी भूमि (ग्राम परिसर भूमि वगैरे)	अवरोधी भूमि (ग्राम परिसर भूमि वगैरे)	अवरोधी भूमि (ग्राम परिसर भूमि वगैरे)	अवरोधी भूमि (ग्राम परिसर भूमि वगैरे)	अवरोधी भूमि (ग्राम परिसर भूमि वगैरे)	अवरोधी भूमि (ग्राम परिसर भूमि वगैरे)	अवरोधी भूमि (ग्राम परिसर भूमि वगैरे)	अवरोधी भूमि (ग्राम परिसर भूमि वगैरे)				
1	क	श्री कंदरवाण अधिरुपित क्षेत्र नगर पुनारवा	77.88	74.34	70.80	979.00	935.00	890.00	22115.00	30030.00	26340.00	14600.00	12915.00							
2	ख	ऊखीमठ नगर पुनारवा क्षेत्र उप-ऊखीमठ, 1 मीमी नगर वार्ड, 2-उदरपुर वार्ड, 3-श्रीकारेवर वार्ड	57.20	54.60	52.00	770.00	735.00	700.00	21915.00	28590.00	26890.00	13655.00	11865.00							

10/11



3	ग	कडीमठ नगर पंचायत क्षेत्र अक्टोबर माह (समाप्ति)	34.65	33.075	31.50	590.00	525.00	500.00	21705.00	28170.00	20470.00	13555.00	11865.00
---	---	---	-------	--------	-------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

तहसील कडीमठ :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	ग्राम / मोहल्ले / शकल गावों की संकी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व गावों की	प्रमुख मार्ग पर स्थित सड़क मुक्ति की अनुमान दर (प्रति हेक्टर लागू रूप में)				प्रमुख मार्ग पर स्थित सड़क मुक्ति (अनसर्जित/असर्जित) की अनुमान दर (प्रति वर्ग मीटर रूप में)				संगणक दर (BASE RATE)	संगणक दर	संगणक दर	संगणक दर	संगणक दर
			0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	संगणक दर	संगणक दर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	क	माझी उर्फ गुवाकाशी	84.70	80.85	77.00	1078.00	1029.00	980.00	18925.0	25780.00	24000.00	13050.00	11015.00		
2	ख	नाल, कोणगढ (वीरपुर), फाटा, न्यातसु(राणपुर), गौरीकुण्ड, भटवाडीसुनार, सो-प्रयाग बाजार।	56.65	54.75	51.50	770.00	735.00	700.00	18535.00	25200.00	23500.00	13050.00	11015.00		
3	ग	गौरी, मनसुना।	44.00	42.00	40.00	605.00	577.50	550.00	18375.00	24885.00	23185.00	13050.00	11015.00		

(4)

तहसील ऊखीमठ :- ग्रामीण क्षेत्र

(6)

क्र. सं.	ग्राम / मोहल्ले / शहर / गाविस / क्षेत्र	ग्राम / मोहल्ले / शहर / गाविस / क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)													
			ग्राम / मोहल्ले / शहर / गाविस / क्षेत्र			ग्राम / मोहल्ले / शहर / गाविस / क्षेत्र			ग्राम / मोहल्ले / शहर / गाविस / क्षेत्र			ग्राम / मोहल्ले / शहर / गाविस / क्षेत्र			ग्राम / मोहल्ले / शहर / गाविस / क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	राकरी, गवनीगाव, वृंदावन	राकरी, गवनीगाव, वृंदावन	0.50	51	201	0-00	51	201	15120.00	20075.00	18375.00	11530.00	9830.00			
2	मैरावडा, मैराठी, भोलेम, वृंदावन, गिवाला	मैरावडा, मैराठी, भोलेम, वृंदावन, गिवाला	45.01	43.05	41.00	660.00	630.00	600.00	15035.00	19800.00	18205.00	11530.00	9830.00			
3	दंडा, उधाडा, वृंदावन, राकरी, वृंदावन, विवाडीगाव, विजुगीनरावगाव	दंडा, उधाडा, वृंदावन, राकरी, वृंदावन, विवाडीगाव, विजुगीनरावगाव	39.50	37.20	35.40	550.00	525.00	500.00	14930.00	19690.00	17995.00	11530.00	9830.00			
4	अनंदाडी, जगलोक, गणजगड, राठी, काठीमठ, बनिगाव, वृंदावन, भवक, विनागा, पुराडी	अनंदाडी, जगलोक, गणजगड, राठी, काठीमठ, बनिगाव, वृंदावन, भवक, विनागा, पुराडी	16.50	16.20	15.40	297.00	284.00	270.00	14690.00	19215.00	17515.00	11530.00	9830.00			
5	जलदपुरगाव, कांडगा, नीला, क.यास, वृंदावन, कर्णसेली, गणज, आसगा, धारसेली, कोटगा, कविता, जालजला, जालमजला, नीमवरी, राउसेक, उजियागा, राठी, घाली, कापज, नीर, परकाणी, भीगी, विजुगीनरावगाव	जलदपुरगाव, कांडगा, नीला, क.यास, वृंदावन, कर्णसेली, गणज, आसगा, धारसेली, कोटगा, कविता, जालजला, जालमजला, नीमवरी, राउसेक, उजियागा, राठी, घाली, कापज, नीर, परकाणी, भीगी, विजुगीनरावगाव	11.00	10.50	10.00	176.00	168.00	160.00	14575.00	18975.00	17285.00	11530.00	9830.00			
6	जगाव, कभराव, कांध्या, केडगावला, किरावाणी, लमगावडी, लारा, देवर, धणकू, देवगाव, धरवालागाव, रण, कांडीसल्लो, कांडीसल्लो, गुणगाव, पंथीवासा, गुणगाव, तोल्ला, तोल्ला, धार, गाडी, सेमलकुंगर, काकोला, जंदाणी, शेरालोक, गिवाला, वृंदावन	जगाव, कभराव, कांध्या, केडगावला, किरावाणी, लमगावडी, लारा, देवर, धणकू, देवगाव, धरवालागाव, रण, कांडीसल्लो, कांडीसल्लो, गुणगाव, पंथीवासा, गुणगाव, तोल्ला, तोल्ला, धार, गाडी, सेमलकुंगर, काकोला, जंदाणी, शेरालोक, गिवाला, वृंदावन	08.80	08.40	08.00	154.00	147.00	140.00	14555.00	18930.00	17240.00	11530.00	9830.00			

15/10/20

88	<p>गिरिया, मन्दावली, कुणकरी, वृद्धी, कदपुर, तरासली गैर क्षेत्र करेवा, जंगल।</p> <p>किरायेद्वारा</p>	07.70	07.35	07.00	137.50	131.00	125.00	14540.00	18900.00	17210.00	11530.00	9630.00
ज	<p>रैल, सोनी, धिनुवानी, रामबाडी, धगलसो, आरिप, धलिम, गरासोली, बट्टीलगा, जगदीशगवान, सलना, विलीपट्ट, धली, रसासु, जगदीशगवान, बेदुला, फौडार, राकचकरीकी, सेनाचकउडा, भनकुपट्ट, पाव, विलगवाड, चिनावाड, लक्ष्मणवाड, गुजरवाड, मुण्डावाड, कन्वास, आसीश्रिया, धरनासु, महरण, श्रीमालगाकमसाल, गवनीचकबवाड, मूसी, नुनू</p>	06.80	06.30	06.00	82.50	78.75	75.00	14480.00	18765.00	17105.00	11530.00	9630.00

Library

तहसील बसुकेदार :- अर्धनगरीय क्षेत्र

10

क्र. सं.	ग्राम / मोहल्ले / गावस / ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / गावस ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (BASE RATE)													
			प्रमुख मार्ग पर फिदा कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टर 100 मी. चौ. तक)		प्रमुख मार्ग पर फिदा अकृषि भूमि (आवासीय/आवसायिक) की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)		प्रमुख मार्ग पर फिदा अकृषि भूमि (आवासीय/आवसायिक) की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)		समुदायिक आवासीय भवन से शुरुआती भवन (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)		शहरीय भवन (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)		शहरीय भवन (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)		शहरीय भवन (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	क	3	46.00	44.00	42.00	605.00	580.00	550.00	18375.00	24885.00	23185.00	13050.00	11015.00			
2																
3																

तहसील बसुकेदार ग्रामीण

क्र. सं.	ग्राम / मोहल्ले / गावस / ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / गावस ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (BASE RATE)													
			प्रमुख मार्ग पर फिदा कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टर 100 मी. चौ. तक)		प्रमुख मार्ग पर फिदा अकृषि भूमि (आवासीय/आवसायिक) की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)		प्रमुख मार्ग पर फिदा अकृषि भूमि (आवासीय/आवसायिक) की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)		समुदायिक आवासीय भवन से शुरुआती भवन (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)		शहरीय भवन (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)		शहरीय भवन (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)		शहरीय भवन (प्रति वर्ग मी. 50 मी. चौ. तक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	ख	3	17.16	16.38	15.60	209.00	199.00	190.00	14805.00	19035.00	17345.00	11530.00	9830.00			
2	क	3	17.52	16.53	15.75	220.00	210.00	200.00	14615.00	19060.00	17355.00	11530.00	9830.00			
3																
4																

(L.S.)

ग	उरडीला, भुसावली, वस्ती, गायगांव, डोगी खोड, डोगी नरसेल, नाजगाई	09.90	09.45	09.00	143.00	136.00	130.00	14555.00	18930.00	17240.00	11530.00	9830.00
घ	डोगी, मरडुपट, सिलवाभाणगाव, वनवाडा, सिंगपटा, कोटी, डडोली, वडेण, वस्ती, गुणव्याक, सोमना, कैणीगुडार, नन्दपुरी, कर्णिकरसूडी, विनासली, फोगू, तालजाभाण, डोगर, डोगी, डोगर, टाटलगावकेंग, डेमरियावल्सा, डेमरियावल्सा, शिगोला, पाटिंगू, भटवाडी(वस्ती), सरवाडी, फौलाकुण्ड(विवा), नैदी, कुण्ड, गदगू, साट, मगरसात, समूड, धाली, सोसदेवन, रघागू	08.80	08.40	08.00	159.00	147.00	140.00	14540.00	18900.00	17210.00	11530.00	9830.00
ड	वस्ती, मरडुपट, विनासली, फोगू, तालजाभाण, डोगर, डोगी, डोगर, टाटलगावकेंग, डेमरियावल्सा, डेमरियावल्सा, शिगोला, पाटिंगू, भटवाडी(वस्ती), सरवाडी, फौलाकुण्ड(विवा), नैदी, कुण्ड, गदगू, साट, मगरसात, समूड, धाली, सोसदेवन, रघागू	07.70	07.35	07.00	137.50	131.00	125.00	14490.00	18765.00	17105.00	11530.00	9830.00
च	वेळुडगाव, भटवावड	06.60	06.30	06.00	82.50	78.00	75.00	14904.00	19332.00	17593.00	11530.00	9830.00

Any

रूढ़प्रयाग जनपद में चारों तहसीलों हेतु वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक भवनों की प्रचलित किराया दर -

(132)

जनपद में नगरी / अर्द्धनगरीय / ग्रामीण	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग फिट) / दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग फिट) प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमीपक्का / कच्चा)
नगरीय	दर- ₹० ९.० प्रतिवर्ग फिट	दर- ₹० ८.५ प्रतिवर्ग फिट	दर- ₹० ७.० प्रतिवर्ग फिट	दर- ₹० ६.५ प्रतिवर्ग फिट
अर्द्धनगरीय	दर- ₹० ८.५ प्रतिवर्ग फिट	दर- ₹० ८.० प्रतिवर्ग फिट	दर- ₹० ६.५ प्रतिवर्ग फिट	दर- ₹० ६.० प्रतिवर्ग फिट
ग्रामीण	दर- ₹० ७.० प्रतिवर्ग फिट	दर- ₹० ६.५ प्रतिवर्ग फिट	दर- ₹० ६.० प्रतिवर्ग फिट	दर- ₹० ५.५ प्रतिवर्ग फिट

(Signature)

## नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले आवश्यक तथ्यों की मार्गदर्शिका

(14)

क्रमांक	टिप्पणी
1.	यह मूल्यांकन सूची का भाग है।
2.	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के 1 नगरीय क्षेत्र 2 अर्द्ध नगरीय क्षेत्र 3 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि / सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
3.	विलेख में विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि / सम्पत्ति के कृषि / आनावासीय / व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
4.	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति की चौदही में वर्णित सड़क / मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
5.	सड़क / मार्ग की चौड़ाई से तात्पर्य अभिलेखीय रूप से अंकित चौड़ाई से है, जिसमें फुटपाथ व नाली भी सम्मिलित है।
6.	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-दुकान 2-रेस्टोरेंट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित हों, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
7.	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या / वदोवरत्त संख्या / खसरा संख्या / राजस्व ग्राम, सम्पत्ति के विन्दीकरण हेतु वाञ्छित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि / सम्पत्ति की चौदही तथा सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
8.	मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा, जो कि कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा किये पर लिये गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है तथा जो भवन उत्तराखण्ड रटाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन)नियमावली 2015 में परिभाषित है।

(14)

2- कृषि / अकृषि भूमि / बहुमंजिला आवासीय भवन / पलैट तथा वाणिज्यिक भवन / दुकान / प्रतिष्ठान के मूल्यांकन सम्बन्धी सामान्य निर्देश : -

- (1) यद्यपि कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि -
- (क) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 05 मीटर या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
- (ख) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
- (ग) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
- (घ) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
- (2) वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
- (3) शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो को छोड़कर बहुउद्देशीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दर प्रभावी होगी, जबकि बेसमेंट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 05 प्रतिशत, 10 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 15 प्रतिशत की छूट देय होगी।



- (4) व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने हेतु एकल व्यवसायिक सम्पत्तियों, जो कि शॉपिंग मॉल / कामप्लेक्स का भाग नहीं है, के विभिन्न तलों के अलग-अलग अन्तर्गत होने पर प्रथम तल पर 10 प्रतिशत, द्वितीय तल पर 20 प्रतिशत, तथा तृतीय एवं उसके ऊपर के तलों पर स्थित सम्पत्ति के मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (5) ऐसी / दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निम्नित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की दो गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
- (6) छोटे दुकानदारों के हितार्थ एकल व्यवसायिक सम्पत्तियों जो कि शॉपिंग मॉल / कामप्लेक्स का भाग नहीं हैं में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से लगाया जायेगा।
- (7) प्रदेश के समस्त जनापदों के पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए लघु कारशतकारों के हितार्थ अकृषि भूमि की न्यूनतम सीमा को 500 वर्गमीटर रखा जाय।
- (8) उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, आद्योगिक विकास प्राधिकरणों, एवं जिला उद्योगकेन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं / निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित / अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थानों के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
- (9) मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख / मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तर्गत विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख / मुख्य मार्गों के दोनों ओर की दूरी का मानक जिला स्तर पर जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- (10) कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की दो गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
- (11) किसी भी प्रकार की भूमि / आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि / आवासीय भवन अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

(12) बहुमजिती आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट / बहुमजिती वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमजिती आवासीय परिसर / बहुमजिती वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

(13) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के आवासीय / औद्योगिक / गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकृता प्राधिकारी / संस्था / विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त विलेख में भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल, अंकित किये जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र / मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोश), द्वितीय श्रेणी (टीनपोश) अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) फ्लैट के निर्मित क्षेत्रफल की निर्माण दर एवं लिन्टरपोश निर्माण की दर के अलग-अलग निर्धारित होने से फ्लैट्स के क्रेताओं को हो रही परेशानी दूर करने के लिये फ्लैट की निर्माण दरों को कम कर लिन्टरपोश निर्माण के समान कर दिया जायेगा।

(15) उद्योगों की स्थापना किये जाने एवं उनमें निर्माण की लागत कम आने के दृष्टिगत औद्योगिक निर्माण की दर टीनपोश निर्माण हेतु निर्धारित दर के समान मानी जायेगी।

(16) फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975 के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।

(17) भूमि / सम्पत्ति के अन्तर्ण पर सर्किल दर की सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तर्णित भूमि / सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी / क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा. अन्वथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तर्णित भूमि / सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां / मोहल्लों / क्षेत्रों में स्थित नहीं है

(18) वाणिज्यिक / अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा

(19) भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा. उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

(20) बाउण्ड्री वाल के स्थित होने पर रू० 1000 / - रनिंग गीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

(21) भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन जिला स्तर पर जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(22) टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।

Chauhan

(23) किसी भी आयोगिक ईकाई का अन्तर्गण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एग्ल्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

(24) मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम निर्धारित दर प्रीभावी होगी।

(25) मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।

(26) मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु किलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा—

(I) किसी किलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि किलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।

(II) किलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र 3. ग्रामीय क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(III) किलेख में किलेख के द्वारा अन्तर्गित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

(IV) किलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1- दुकान 2-रेस्टोरन्ट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य आधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकृतित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(V) किलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका का खाता संख्या/वंदोवस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वर्णित तथा एवं किलेख के द्वारा अन्तर्गित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(VI) किलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़कों/मार्ग/मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(VII) मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा

14/11/74

किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।

(VIII) पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा जो विलेख का भाग माना जायेगा।

*Leahy*  
(राहुल कुमार गोयल)  
अपर कलक्टर/अपर जिलाधिकारी,  
रूद्रप्रयाग।

*Leahy*  
(श्री० राघव तंगर)  
आर्द्राणुपूरसो  
कलक्टर/जिलाधिकारी,  
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय कलक्टर/जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।

संख्या- ११७८ / V - सर्किल रेट(संशोधन)/(2015-2016) दिनांक रूद्रप्रयाग जून १८, 2016।

प्रतिलिपि - निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त अनुभाग-9, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, जिला निबन्धक, रूद्रप्रयाग।
- 5- उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली/बसुकेदार।
- 6- तहसीलदार, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली/बसुकेदार।
- 7- उप निबन्धक, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ।
- 8- उप निबन्धक, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ।
- 9- समस्त कार्यालयीय/जनपद रूद्रप्रयाग।

*Leahy*  
अपर जिलाधिकारी,  
रूद्रप्रयाग।

## गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा।

(25)

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है -

नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु-100 वर्ष मान कर किया गया है

निर्माण मूल्य में क्षरण लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित सूत्र-  $D = P(1 - RD/100)^n$  RD = भवन की क्षरण आयु/100

$D =$  क्षण मूल्य (Depreciated Value),  $P =$  वर्तमान मूल्य,  $N =$  कितने वर्ष पुराना (Age of Building)

कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण वर्ष गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक
1	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.229
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

(राहुल कुमार गोयल)  
आपर जिलाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग।